[2019]13 एस.सी.आर.1106

प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)–1
बनाम
एनआरए आयरन एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड

प्रकीर्ण आवेदन संख्या 814/2019 उदभूत
(सिविल अपील संख्या 2463/2019) 25 अक्टूबर 2019
(उदय उमेश ललित और इन्दु मल्होत्रा ,जे०जे०)

अभ्यास और प्रक्रिया – विशेष अनुमति याचिका की सूचना – तामीला की –आवेदक कम्पनी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को इस आधार पर वापस लेने की मांग की कि आवेदक कम्पनी को विशेष अनुमति याचिका की सूचना तामीला नही करायी गयी थी –अभिलेख में दर्शित पावती रसीद जो कि आवेदक कम्पनी के एसएन चार्टेड एकाउन्टेट द्वारा दस्ती सूचना दिनांक 13–12–2018 को प्राप्त की गयी– एसएन ने निवेदन किया कि सदभावपूर्वक उन्होने विश्वास किया था कि दस्तावेज जो उन्हे प्राप्त हुए थे वे आयकर रिटर्न से सम्बन्धित दस्तावेज है और आयकर विभाग द्वारा भेजे गए है और आगे निवेदन किया कि वह मोतियाबिन्द की अग्रिम अवस्था से पीडित थे और उनकी दोनो आंखो की शल्यचिकित्सा क्रमशः 04–01–2019 एवं दिनांक 23–01–2019 को हुई थी – आवेदक कम्पनी ने तर्क प्रस्तुत किया कि एसएन आवेदक के प्रधान अधिकारी नही थे । अतः उन पर तामीला प्रभावी नही मानी जा सकती –निर्णीत : स्वीकृत रूप से एसएन वर्ष 2009–2010 के लिए आवेदक का पावर आफ अर्टानी धारक था और वह निर्धारिती कम्पनी का प्रतिनिधि था । अतः वर्तमान मामले में निर्धारिती कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में उसे नोटिस प्राप्त कराया जा सकता था – एसएन ने खुलासा नही किया है कि दस्ती नोटिस वाला लिफाफा कब खोला गया था – एसएन द्वारा अग्रिम निवेदन मे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के दस्ती नोटिस को उनके द्वारा " कुछ आयकर रिटर्न दस्तावेज समझा गया था ", इसमें विश्वस्नीयता का अभाव है ।–दस्ती नोटिस उन्हे उनकी शल्य चिकित्सा से काफी समय पूर्व दिनांक 13–12–2018 को प्राप्त कराया गया था –उनके पास आवेदक को चल रही प्रक्रियाओ के सम्बन्ध में सूचित करने के लिए पर्याप्त समय था –साथ ही साथ एसएन आयकर प्राधिकारियो के समक्ष अपनी शल्य चिकित्सा के पूर्व अनेक तिथियो पर आवेदक का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित हुआ था –अतः निर्णय को वापस लेने का कोई ठोस और विश्वस्नीय आधार नही बनता है –आवेदक को उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से विधिवत तामीला करायी गयी थी ।

1106 प्रधान आयकर आयुक्त (केन्द्रीय)–1

बनाम
एनआरए आयरन एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए न्यायालय द्वारा
अवधारित किया गया कि

1 एसएन, चार्टेड एकाउन्टेट स्वीकृत रूप से वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लिए आवेदक का पावर आफ अर्टानी धारक था और वह निर्धारिती कम्पनी का प्रतिनिधि था । अतः वर्तमान वाद में नोटिस की तामीला उस पर निर्धारिती कम्पनी के प्रतिनिधि के तौर पर की जा सकती थी । [प्रस्तर 12][1111–एफ]

2– एसएन द्वारा लिया गया आधार कि यद्यपि दिनांक 13–12–2018 को नोटिस तामील हो गया था परन्तु उनके द्वारा यह समझा गया कि वे आयकर रिर्टन से सम्बन्धित दस्तावेज है ,इसमें विश्वसनीयता की कमी है । यह स्वीकार करना कठिन है कि लिफाफा जिसमें इस न्यायालय द्वारा भेजा गया दस्ती नोटिस था, उसे कुछ आयकर

रिर्टन सम्बन्धित दस्तावेज समझा गया । अभिसाक्षी द्वारा बिल्कुल यह तथ्य प्रकट नही किया गया कि दस्ती नोटिस वाला लिफाफा कब खोला गया था । आगे चार्टेड एकाउन्टेट द्वारा लिया गया यह आधार कि वह मोतिया बिन्द की अग्रिम अवस्था से पीडित था और इसी कारण वह अपने ग्राहक को सूचित नही कर सका ,विश्वास के योग्य नही है । स्वीकृत रूप से उसे दस्ती नोटिस उसके शल्य चिकित्सा जो कि उसके कथानुसार दिनांक 04–01–2019 को हुई थी , से काफी समय पहले उसके कार्यालय में दिनांक 13–12–2018 को तामील कराया गया था । एसएन के पास अपनी शल्य चिकित्सा के पूर्व ,कार्यवाहियो के बाबत आवेदक/ कम्पनी को सूचित करने के लिए पर्याप्त समय था । आगे यह भी कि एसएन आवेदक कम्पनी व इनकी सहयोगी संस्थानो का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी शल्य चिकित्सा के पूर्व विभिन्न तिथियो पर जैसे कि 14.12.2018,21.12.2018,28.12.2018 और 29.12.2018 को आयकर प्राधिकारियो के समक्ष उपस्थित हुआ । [प्रस्तर 13]1111–.,1112–ए–सी–]

3– उर्पयुक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट है कि आवेदक–कम्पनी को उनके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से तामीला हो गयी थी और उन्हे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए । मामले के एकपक्षीय रूप से अग्रसारण किए जाने का चुनाव आवेदक कम्पनी द्वारा ही किया गया । निर्णय को वापस लिए जाने का आधार किसी भी तरह के योग्यता से रहित है । [प्रस्तर 14][1112–डी]

राजस्थान राज्य

बनाम

बसन्त नेहाटा (2005) 12 एससीसी 77:

(2005)3 पूरक एससीआर 1 – पर विश्वासित

विधि व्यवस्था संदर्भ (2005)3 पूरक एससीआर 1 प्रस्तर 12 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस (2019)13 एससीआर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार :2019 की सिविल अपील संख्या 2463 में प्रकीर्ण आवेदन संख्या 814

दिल्ली उच्च न्यायालय स्थित दिल्ली द्वारा आईटीए नम्बर 244/2018 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 26–02–2018 से उदभूत

एएनएस नादकर्णी , एएसजी, सिद्वार्थ लूथरा , वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रंजना राय गवई , सुश्री वसुधा सेन , उज्जल जैन, सुश्री दीव्या राय , सुश्री प्रवीना गौतम , डी०एल०चिदानन्द, श्री अनिल कटियार , पक्षकारगण की तरफ से उपस्थित अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय

इन्दु मल्होत्रा जे०द्वारा सुनाया गया

1– वर्तमान आवेदन इस न्यायालय द्वारा सीए संख्या 2463/2019 में पारित निर्णय दिनांकित 05–03–2019 को वापस लेने के लिए इस आधार पर दाखिल किया गया है कि आवेदक कम्पनी को न तो उनके पंजीकृत कार्यालय पर विशेष अनुमति याचिका की नोटिस की तामीला करायी गयी और न ही आवेदक कम्पनी को विशेष अनुमति याचिका की प्रतिलिपि प्रदान की गयी । परिणामस्वरूप चूंकि निर्णय एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था ,आवेदकगण द्वारा निर्णय को वापस लेने और नये सिरे से सुनवाई करने की प्रार्थना की गयी ।

2– आवेदकगण का कहना है कि पूर्व में आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पता यानि 310, तृतीय तल , बी ब्लाक , इन्टरनेशनल ट्रेड टावर , नेहरू प्लेस , नई दिल्ली , पर न्यायालय के नोटिस भेजे गए थे , जबकि 19–05–2014 को आवेदक – कम्पनी ने अपना पंजीकृत कार्यालय 211, सोमदत्त चेम्बर्स ।। ,9, भीका जी,

प्लेस , नई दिल्ली 110066 में अन्तरित कर दिया था । तत्पश्चात पंजीकृत कार्यालय को फिर से दिनांक 23–01–2019 को 1205,केबिन नम्बर 1, 89 हेमकुन्ड चेम्बर्स , नेहरू प्लेस , नई दिल्ली में अन्तरित कर दिया गया ।

3 – आवेदकगण का कथन है कि उन्हे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05–03–2019 को पारित निर्णय के सम्बन्ध में ईकोनामिक टाईम्स में दिनांक 07–03–2019 को प्रकाशित एक समाचार क्लीपिंग से जानकारी हुई, तत्पश्चात निर्णय को वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 12–03–2019 को प्रस्तुत किया गया ।

4– आवेदक कम्पनी का कथन है कि न्यायालय के अभिलेखो का निरीक्षण करने पर , उन्हे पता चला कि 19–12–2018 को राजस्व विभाग द्वारा दायर दस्ती तामीला के बाबत शपथ पत्र में , चार्टेड एकाउन्टेट श्री संजीव नारायण द्वारा आवेदक कम्पनी की तरफ से पावती रसीद दिनांकित 13–12–2018 दी गयी थी ।

5– आवेदक कम्पनी द्वारा श्री संजीव नारायण चार्टेड एकाउन्नेट का शपथपत्र पत्रावली पर रखा गया जिसमें उन्होने यह कहा है कि वह आयकर अधिकारियो के समक्ष प्रतिवादी कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि थे किन्तु वे आयकर के उच्च प्रधान आयुक्त केन्द्रीय (एक)के समक्ष तथा न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी कम्पनी द्वारा योजित नही किए गए थे । चार्टेड एकाउन्नेट द्वारा आगे यह कहा गया कि उन्हे आयकर विभाग के एक निरीक्षक से नोटिस की तामीला दिनांक 13–12–2018 को प्राप्त हुई परन्तु उनके द्वारा सदभावपूर्वक यह विश्वास किया गया कि उन्हे आयकर विभाग से आयकर रिटर्न से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज प्राप्त कराए गए । चार्टेड एकाउन्टेट द्वारा यह भी कथन किया गया कि वह मोतिया बिन्द की अग्रिम अवस्था से पीडित थे और उनके द्वारा अपनी दोनो आंखो की शल्य चिकित्सा क्रमशः 04–01–2019 एवं 23–01–2019 को करायी गयी थी ।

6– आवेदक कम्पनी द्वारा मौखिक तर्क के दौरान यह कथन किया गया कि चार्टेड एकाउन्टेट श्री संजीव नारायण , आवेदक/ कम्पनी के सभी मामलो में प्रतिनिधित्व कर रहे थे । साथ ही साथ सहयोगी कम्पनियो ,जिसमें मेसर्स टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड (जिसे पहले भूषण स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शामिल है , का भी प्रतिनिधित्व आयकर प्राधिकारियो के समक्ष कर रहे थे और आज भी आवेदक कम्पनी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे है ।

7– इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 19–08–2019 द्वारा आयकर अपीलीय प्राधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय से मूल दस्तावेज तलब किए गए । इस दौरान विभाग को अपनी आपत्तिया दाखिल करने का समय प्रदान किया गया ।

8– विभाग ने अपने जबाबी शपथपत्र में कहा कि दस्ती नोटिस आवेदक कम्पनी के अधिकृत कम्पनी के प्रतिनिधि के हैसियत से श्री संजीव नारायण को उनके कार्यालय के पते पर विधिवत रूप से तामील कराया गया था जो कि निर्धारिती कम्पनी की तरफ से वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लिए पावर आफ अर्टानी धारक थे । पावर आफ अर्टानी फर्म के चारो भागीदारो यानि श्री मोहनलाल अधिवक्ता , श्री अश्ववनी कुमार चार्टेड एकाउन्टेट, श्री संजीव नारायण और श्री सुरेन्द्र कुमार एफसीए को बतौर अधिवक्ता, नियुक्त करती है और उन्हे प्राधिकृत करती है कि वे आवेदक कम्पनी का कार्यवाहियो के सभी स्तर पर प्रतिनिधित्व करेगे । पावर आफ अर्टानी आवेदक कम्पनी द्वारा श्री संजीव नारायण के पक्ष में निष्पादित किया गया था जो कि पत्रावली में संलग्न है ।

9– राजस्व विभाग द्वारा आगे यह कथन किया गया कि यद्यपि कि श्री संजीव नारायण द्वारा दिनांक 04–01–2019 और 23–01–2019 को मोतिया बिन्द की शल्य चिकित्सा कराए जाने का कथन किया गया है । परन्तु यह नोटिस तामीला दिनांक 13–12–2018 के काफी समय पश्चात हुआ है । अतः उनके पास अपने ग्राहक को कार्यवाहियो के लम्बन के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था ।

10 – आगे यह भी कहा गया कि श्री संजीव नारायण आवेदक कम्पनी व सहयोगी कम्पनियो का प्रतिनिधित्व करने के लिए कर प्राधिकारियो के समक्ष नोटिस की तामीला दिनांक 13–12–2018 के उपरान्त और अपनी शल्य चिकित्सा के पहले दिनांक 14–12–2018, 21–12–2018, 28–12–2018 और 29–12–2018 को उपस्थित हुए थे । इन परिस्थितियो में यह इंगित किया गया कि आवेदक कम्पनी द्वारा प्रस्तुत आधार गुण रहित है । इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 05–03–2019 को वापस लिए जाने हेतु कोई आधार नही बनता ।

11– हमारे द्वारा पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता गण को सुना गया और पत्रावली का परिशीलन किया गया । इस न्यायालय द्वारा सीए नम्बर 2463/2019, में आदेश दिनांकित 12–11–2018 द्वारा निर्धारिती /आवेदक को नोटिस जारी किया गया । चूंकि दस्ती नोटिस दिनांक 13–12–2018 को आवेदक कम्पनी पर तामील हो गया , मामला 02–01–2019 को सूचीबद्ध हुआ । यद्यपि कि आवेदक कम्पनी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ । पुनः न्यायालय द्वारा मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित किया गया और दिनांक 18–01–2019 को मामला नियत किया गया और यह आदेश पारित किया गया कि यदि आवेदक कम्पनी उपस्थित नही होती है तो मामला एकपक्षीय रूप से अग्रसारित किया जायेगा । उसके पश्चात मामला दिनांक 23–01–2019 को सूचीबद्ध हुआ जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया ।

मामले में दिनांक 12–11–2018 को नोटिस जारी किया गया था । कार्यालय आख्या दिनांकित 22–12–2018 दर्शित करती है कि नोटिस विधिवत रूप से एकमात्र विपक्षी को तामीला करा दी गयी लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ । आदेश दिनांक 02–01–2019 द्वारा विपक्षी को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया और यह दर्शित किया गया कि यदि विपक्षी उपस्थित नही आता है तो मामले को एकपक्षीय रूप से अग्रसारित किया जायेगा । उसके पश्चात भी कोई उपस्थित नही आया । मामले के तथ्यो के दृष्टिगत हम विपक्षी को एक और अवसर उपस्थित होने और मामले के गुण दोष के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु प्रदान करते है । अभी भी यदि प्रतिपक्षी उपस्थित न आने का चुनाव करता है तो निश्चित रूप से मामला एकपक्षीय तौर पर निर्णीत किया जायेगा । आवेदक कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि पर दिनांक 31–01–2019 और 05–02–2019 को ,जिस समय मामला अन्तिम सुनवायी के लिए ग्रहण किया गया और निर्णय सुरक्षित किया गया , नोटिस तामीला होने के उपरान्त भी आवेदक कम्पनी मामले में उपस्थित नही आयी ।

12– आदेश वापसी प्रार्थना पत्र की मौखिक सुनवायी के दौरान आवेदक कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि श्री संजीव नारायण आवेदक कम्पनी के प्रधान अधिकारी नही थे । अतः उन पर नोटिस की तामीला प्रभावी नही मानी जा सकती है ।

धारा 2(35) “प्रधान अधिकारी” को इस प्रकार परिभाषित करती है :

“2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

35 किसी स्थानीय प्राधिकरण या कम्पनी या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या व्यक्तियो के किसी संघ या व्यक्तियो में से किसी एक के संदर्भ में प्रयुक्त “प्रधान अधिकारी” का अर्थ है –

(ए) सचिव , कोषाध्यक्ष , प्रबन्धक या प्राधिकरण के अभिकर्ता , कम्पनी संघ या निकाय या

(बी) स्थानीय प्राधिकरण , कम्पनी , संघ या निकाय के प्रबन्धक से जुडा कोई भी व्यक्ति ,जिस पर मूंल्याकन अधिकारी ने उसे उसके प्रमुख अधिकारी के आशय से कोई नोटिस तामीला कराया है

(विशेष बल दिया गया)

अभिकर्ता शब्द में निश्चित रूप से पावर आफ अर्टानी धारक सम्मलित होगा । राजस्थान राज्य बनाम बसन्त नेहटा के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि " पावर आफ अर्टानी प्रदान किया जाना अनिवार्य रूप से संविदा अधिनियम के अध्याय 10 द्वारा शासित होता है "। पावर आफ अर्टानी दस्तावेज के प्रभाव से , अभिकर्ता औपचारिक रूप से किसी एक लेन देन या लेन देन की श्रृंखला में प्रधान के तौर पर कार्य करने या प्रधान के मामलो का प्रबन्धन करने के लिए सामान्यत: किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यक प्राधिकारिता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

(विशेष बल दिया गया)

श्री संजीव नारायण स्वीकृत रूप से आवेदक मेसर्स एनआरए आयरन एवं स्टील प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2009–2010 के लिए पावर आफ अर्टानी धारक थे और वह निर्धारिती कम्पनी के अभिकर्ता थे । अतः वर्तमान मामले में उन्हे निर्धारिती कम्पनी के अभिकर्ता के तौर पर सूचना की तामीला की जा सकती थी ।

13– श्री संजीव नारायण द्वारा लिए गए इस आधार में विश्वसनीयता की कमी है कि यद्यपि उन्हे दिनांक 13–12–2018 को सूचना की तामीला करायी गयी लेकिन उनके द्वारा यह समझा गया कि वे आयकर रिटर्न से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज थे । यह स्वीकार करना कठिन है कि इस न्यायालय द्वारा भेजे गए दस्ती नोटिस के लिफाफे को कुछ आयकर रिटर्न सम्बन्धी दस्तावेज समझा गया । अभिसाक्षी द्वारा यह तथ्य बिल्कुल भी प्रकट नही किया गया कि दस्ती नोटिस वाला लिफाफा कब खोला गया था । आगे किया गया यह निवेदन कि चार्टेड एकाउटेन्ट मोतिया बिन्द की अग्रिम अवस्था से पीडित था और इसी कारण वह अपने ग्राहक को सूचना नही दे सका , यह तथ्य भी विश्वास के योग्य नही है । दस्ती नोटिस स्वीकृत रूप से उसकी शल्य चिकित्सा होने की तिथि दिनांक 04–01–2019 से काफी पूर्व उसे दिनांक 13–12–2018 को उसके कार्यालय पर तामीला करायी गयी थी । श्री नारायण के पास आवेदक कम्पनी को कार्यवाहियो के बारे में सूचना देने के लिए अपनी शल्य चिकित्सा के पूर्व पर्याप्त समय उपलब्ध था ।

आगे यह भी कि श्री संजीव नारायण आवेदक कम्पनी व सहयोगी कम्पनियो का प्रतिनिधित्व करने के लिए आयकर प्राधिकारियो के समक्ष अपनी शल्य चिकित्सा के पूर्व दिनांक 14–12–2018, 21–12–2018, 28–12–2018 और 29–12–2018 को उपस्थित हुए थे ।

14– उपरोक्त वर्णित तथ्यो एवं परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय सन्तुष्ट है कि आवेदक कम्पनी को उनके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सूचना की तामीला की गयी थी और उन्हे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे । आवेदक कम्पनी द्वारा ही मामले के एकपक्षीय अग्रसारण का चुनाव किया गया । निर्णय के वापस लिए जाने का आधार किसी भी गुण से रहित है ।

15– आवेदक कम्पनी निर्णय दिनांकित 05–03–2019 को वापस लिए जाने के सम्बन्ध में कोई भी ठोस या विश्वसनीय आधार प्रस्तुत करने में विफल रही है । अतः वापस लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र बिना हर्जा के निरस्त किया जाता है ।

अंकित ज्ञान एम.ए.निरस्त

Digitally signed by Vidya Bhushan Pandey
Date: 2023.11.03 12:24:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court